## नेशनल इलेक्शन वॉच क्या है? यह क्या करता है?

- यह देश में चुनाव–सुधारों के लिए कार्यरत 1200 से अधिक अराजनीतिक, निष्पक्ष गैर–सरकारी संगठनों का राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देकर जागरुक बनाता है और इस प्रकार उन्हें सोच–समझकर फैसला करने में समर्थ बनाता है।
- लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भ्रष्ट तरीकों के इस्तेमाल की निगरानी करने में नागरिक समाज के पहरेदार के रूप में काम करता है।
- राजनीतिक पार्टियों के कार्यकलापों और कोष–संग्रह में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है।

## आपका लोकतंत्र.....आपकी भूमिका

किसी लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग नागरिक होते हैं क्योंकि उनपर संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधिओं को **चुनकर भेजने** की जिम्मेवारी होती है। स्व–सक्रिय जागरुक मतदाता लगातार जबाब मांगते हुए राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर सकता है कि वे चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों को न उतारें जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल व बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं और अयोग्य हैं।

1. मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें।
2. आपके निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करें और दूसरों को भी इसे बताने का प्रयत्न करें।
3. चुनावों के दौरान अपने मत के बारे में सोच–समझकर फैसला करें।
4. स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का समर्थन दें और प्रोत्साहित करें।
5. ऐसे उम्मीदवारों का विरोध करें जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने धनबल और प्रभाव का इस्तेमाल करता है।
6. अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सवाल पूछने में सूचना के अधिकार जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करें।
7. नागरिक समाज की गतिविधियों में सक्रियता के साथ हिस्सा लें और भागीदार बनें तथा उन लोगों के बीच जागरुकता भी फैलाएं जो इसके बारे में नहीं जानते।
8. राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार **को टिकेट** नहीं देने के लिए मजबूर **करें** ।
9. फेसबुक, टिव्टर और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया द्वारा फैलाये जाने वाली फेक न्यूज एवं गलत जानकारी को बिना विश्लेषण किये बढ़ावा न दें।
10. जांच करें की, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए आदेश अनुसार सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक विवरण टीवी, अखबार एवं सोशल मीडिया पर 3 बार प्रचारित किया है या नही।

## चुनावों के दौरान कौन–कौन से खर्च अवैध और आपराधिक हैं?

- मतदाताओं को शराब या नगद घूस देना या किसी दूसरे प्रकार से प्रभावित करना कानूनन अपराध है।
- पेड–न्यूज़: किसी समाचार संस्थान के किसी अधिकारी को किसी समाचार को प्रकाशित करने के एवज में भुगतान करना अपराध है।
- विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसी उम्मीदवार द्वारा रू. 28 लाख से अधिक खर्च करना कानूनन अपराध है। किसी भी राज्य के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसकी सहमति के बगैर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा विज्ञापन दिया जाना कानूनन अपराध है और अगर उसकी सहमति से दिया जाए तो उसे चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा।
- चुनावी पोस्टर, होर्डिंग्स इत्यादि को मुद्रक के नाम के बगैर प्रकाशित करना अवैध है।

## हमारी चुनाव प्रणाली को वर्तमान में किन सबसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

- टिकटों के बंटवारे में आलाकमान संस्कृति।
- राजनीतिक पार्टियों के कोष–संग्रह और चुनाव खर्चो में पारदर्शिता का अभाव।
- मतदाताओं के बीच शराब, नगद रकम बांटने और अन्य प्रलोभनों से लुभाने में धनबल का इस्तेमाल।
- पेडन्यूज के रूप में मीडिया का इस्तेमाल और राजनीतिक विज्ञापनों पर निर्धारित सीमा से अधिक खर्च ।
- राजनीति में अपराधिकरण –वर्तमान लोकसभा के 43 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।

## NOTA क्या है?

- आपके क्षेत्र में विधायक अथवा सांसद पद के लिए कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। यदि आपको लगता है कि इनमे से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित होने योग्य नही है तो आप इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में NOTA बटन "उपरोक्त में कोई नहीं" का प्रयोग करके सभी उम्मीदवारों का बहिष्कार कर सकते हैं।

ADR Association for Democratic Reforms

myneta.info Jharkhand Election Watch

# अच्छे को चुनें, सच्चे को चुनें।

**www.adrindia.org,**
**www.myneta.info**

/adrindia.org

/adrspeaks

Toll-Free Helpline No.
**1800-110-440**
**Missed call no.-**
**08010445555**

अपने नेता के बारे में जानने के लिए **SMS** करें–

**Myneta <Constituency> to 09212356070**

उदाहरण के लिए– टाईप करें **Myneta Ranchi** और **09212356070** पर भेज दें।

अथवा

**Myneta <Pincode> to 09212356070**

उदाहरण के लिए– टाईप करें **Myneta 834001** और **09212356070** पर भेज दें।

अधिक जानकारी के लिए ई–मेल करें:
adr@adrindia.org

जो नेता आज आपका वोट खरीदेगा, वो कल आपको बेचेगा

## झारखंड लोकसभा 2019 के सांसदों का विवरण

वर्तमान 17 वीं लोकसभा (2019) में 543 सांसदों में से झारखंड के 14 सांसदों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया गया।

- 4 (29 प्रतिशत) सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- 2 (14 प्रतिशत) सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- 13 (93 प्रतिशत) सांसद करोड़पति हैं।
- रू. 12.99 करोड़, सांसदो की औसतन संपत्ति है।
- महिला सांसदों की कुल संख्या 2 है।
- 10(71 प्रतिशत) सांसदो की शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे अधिक है।

## वर्तमान चुनाव प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता

- राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की बहाली हो– विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों का चयन और टिकट देने का फैसला केवल आलाकमान द्वारा नहीं किया जाए, बल्कि अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए।
- राजनीतिक पार्टियों के खाता–बहियों में वित्तीय पारदर्शिता बरती जाए।
- किसी आपराधिक मामले से शामिल व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए।
- ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने वाली राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।
- चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के खर्च की अधिकतम सीमा निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

## क्या चुनावों के दौरान शपथपत्रों में गलत जानकारी देना एवं चुनावी खर्चे का गलत ब्यौरा देना अपराध है?

चुनावी शपथपत्र में गलत जानकारी देना एवं चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देना बेहद गंभीर अपराध हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों को कठोर सजा दी जा सकती है एवं उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र से कोई नेता चुनावी खर्च का गलत ब्यौरा देता है तो आप चुनाव परिणाम की घोषणा से 45 दिनों के अंदर राज्य के उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।

## झारखंड विधानसभा 2009 और 2014 के आंकड़े

### झारखंड विधानसभा 2009

झारखंड विधानसभा 2009 में निर्वाचित 81 विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण–

- ➢ **59 (73%)** के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे।
- ➢ **26 (32%)** के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे।
- ➢ **21 (26%)** विधायक करोड़पति थे।
- ➢ **₹ 91 लाख** विधायकों की औसत संपत्ति थी।
- ➢ **8** महिलाऐं विधायक थी।

### झारखंड विधानसभा 2014

झारखंड विधानसभा 2014 में निर्वाचित 81 विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण–

- ➢ **55 (68%)** के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
- ➢ **43 (53%)** के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं।
- ➢ **41 (51%)** विधायक करोड़पति हैं।
- ➢ **₹ 1.84 करोड़** विधायकों की औसत संपत्ति हैं।
- ➢ **9** महिलाऐं विधायक हैं।

## विधायकों के गंभीर आपराधिक मामले–दलवार

झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में 55 विधायकों ने अपने पर आपराधिक मामले घोषित किये हैं इनमे 43 विधायकों ने अपने पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं जैसे– हत्या, हत्या का प्रयास, ज़बरन वसूली, अपहरण, डकैती इत्यादि। नीचे की तालिका में आपराधिक मामले घोषित करने वाले विधायकों का दलवार आलेख दिया गया है–

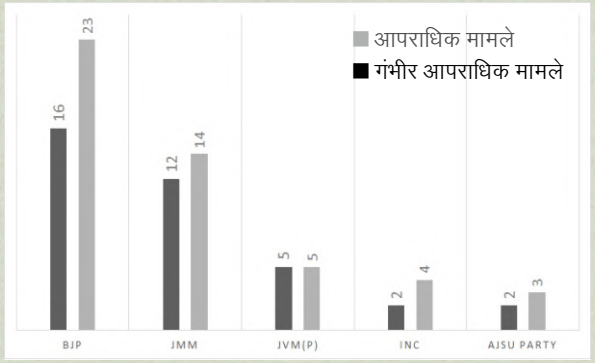


## महत्वपूर्ण निःशुल्क सहायता/शिकायत नं0

- अगर आपको लगता है कि चुनाव के दौरान "आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो चुनाव आयोग को कॉल करें– 1077 या 1950
- नेशनल इलेक्शन वॉच को कॉल करें – 1800 110 440 **या मिसड कॉल दें** 08010445555 और अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, विधायक या सांसद के बारे में हमारे प्रतिनिधि से पूछें।

## झारखंड के राजनीतिक दलों के आय/व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष –2017–18

| दल | आय (₹ करोड़) | व्यय (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| BJP | 1027.339 | 758.47 |
| INC | 199.15 | 197.43 |
| BSP | 51.694 | 14.78 |
| JVM-P | 0.737 | 0.45 |
| JMM | 0.523 | 0.31 |
| AJSU | 0.285 | 0.209 |
| **कुल योग** | **₹ 1,279.73 करोड़** | **₹ 971.65 करोड़** |

**जानकारी के लिए मिस्ड कॉल करें: 08010445555**

राजनीतिक दलों के आय/व्यय की और ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक है–
**www.myneta.info/party**

## सम्पर्क

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
टी–95 , सी.एल. हाऊस, 2 तल,
नज़दीक गुलमोहर कमर्शियल काम्पलेक्स, गौतम नगर, नई दिल्ली– 110049,
फोन नं.: 011–4165 4200, फैक्स नं: 4609 4248

झारखंड इलेक्शन वॉच
श्री सुधीर पाल
स्टेट कोर्डिनेटर
मोबाईल नं0: **+91-94311-07277**
ई–मेल: **manthanindia@gmail.com**